

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन भोपाल 462002

क्रमांक 478 /70/आउशि/बजट/09
प्रति,

भोपाल,दिनांक 19-3-09

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश ।

विषय-अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय योजना
अन्तर्गत आबंटन-2008-09
संदर्भ-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2555/727/आउशि/बजट/09, दि.01.08.08

उपरोक्त विषय में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय योजना अन्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित राशि का आबंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क.	महाविद्यालय का नाम	मांग संख्या-41 योजना कं. -9805	मांग संख्या-64 योजना कं. -4699
1	शासकीय महाविद्यालय निवास (मंडला)	35,600-00	71,800-00
2	शासकीय कन्या महावि०,पिपरिया(होशंगाबाद)	35,600-00	71,800-00
3	शासकीय महाविद्यालय,बरघाट (सिवनी)	35,600-00	71,800-00
4	शासकीय महाविद्यालय डिण्डौरी	35,600-00	71,800-00
5	शासकीय महाविद्यालय हरपालपुर जि० छतरपुर	35,600-00	71,800-00
6	शासकीय महाविद्यालय हटा (दमोह)	35,600-00	71,800-00
7	शासकीय महाविद्यालय,नैनपुर (मण्डल)	35,600-00	71,800-00
8	शासकीय कन्या महाविद्यालय झाबुआ	35,600-00	71,800-00
9	शासकीय स्नातकोत्त महावि०सीहोर	35,600-00	71,800-00
10	शासकीय महावि० नरसिंहगढ़ जि० राजगढ़	35,600-00	71,800-00
11	शासकीय महावि० कसरावद जि० खरगोन	35,600-00	71,800-00
12	शासकीय महाविद्यालय विजयपुर जि० श्योपुर	35,600-00	71,800-00
13	शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा जि० शाजापुर	35,600-00	71,800-00
14	शासकीय महाविद्यालय शाहपुर जि० बैतूल	35,600-00	71,800-00
15	शासकीय महाविद्यालय शमशाबाद जि० विदिशा	35,600-00	71,800-00
	योग	5,34,000-00	10,77,000-00

ks him

2. व्यय करते समय संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
3. उपर्युक्त राशि का आहरण एवं व्यय संलग्न कम्प्यूटर शीट में दर्शाई मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 में विकलनीय होगा ।
4. नवीन प्रारंभ किए गए शासकीय महाविद्यालय कसरावद, विजयपुर, नन्दखेड़ा, शाहपुर एवं रामशाबाद के लिए जारी बजट आवंटन का आहरण संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय कमरा: खरगौन, श्योपुर, शाजापुर, बैतूल एवं विदिशा द्वारा किया जावेगा ।
5. आवंटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करना सुनिश्चित करें, ताकि राशि के समर्पण की स्थिति निर्मित न हो । किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय / भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी ।

संलग्न-कम्प्यूटर शीट



(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ० क० 479 / 70 / आउशि / बजट / 09
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19-3-09

1. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
2. संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।



(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश